लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583659फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpividhya@yahoo.com

क्रमांक–विद्या/निःशुल्क पा.पु./ए/22/2010/237 भोपाल, दिनांक 6/3/2010

प्रति,

समस्त, जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय–प्रदेश के शासकीय हाईस्कल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना कार्यक्रम वर्ष 2010.

संदर्भ– निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम योजना वर्ष 2010 (कक्षा 1 से 8 तक) के संबंध में जारी राज्य शिक्षा केन्द्र को आदेश क्रमांक–राशिके./ई.एण्ड.आर./2010/1340 दिनांक 23.2.2010

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। विषयांकित योजनान्तर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी संदर्भित पत्रानुसार सुनिश्चित किया जाये।

2. उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्ष विभाग के पत्र क्रमांक एफ–44–11/2010/20–2 भोपाल, दिनांक 02.02.2010 अनुसार समयबद्ध अध्ययन अध्यापन व्यवस्था तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र का प्रारंभ 01 अप्रेल 2010 से किया जाना है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व निश्चित अवधि में पाठ्य पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध करायी जा सकें इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही समय–सीमा में करने का निर्णय लिया गया है –

2.1 दिनांक 13 मार्च, 2010 तक जिला स्तरीय डिपो पर समस्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाये।

2.2 दिनांक 15 मार्च 2010 के पूर्व विकास खण्ड मुख्यालय पर पाठ्य पुस्तकों के सभी सेट उपलब्ध हो जायें।

2.3 दिनांक 20 मार्च 2010 तक समस्त विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के सेट उपलब्ध कराये जायें।

2.4 दिनांक 25 मार्च 2010 तक समस्त विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के सेट तैयार कर लिए जावें। पाठ्य पुस्तकों के नंबर प्रत्येक छात्र के नाम के समक्ष अंकित किये जायें।

2.5 जिला स्तर पर विकासखण्ड स्तर एवं विद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकें निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई जा सकें इस हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर जवाबदेही निर्धारित की जाये। निर्धारित समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

3– उक्त 2.5 के अनुक्रम में जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी,विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर

संस्था प्राचार्य को पाठ्यपुस्तकों के सभी सेट निर्धारित समय पर छात्रों को वितरित कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिस स्तर पर विषयांकित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय पर पूरा नहीं होगा उस स्तर के नोडलअधिकारी को उत्तरदायी मानकर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि यह स्थिति मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों के सेट न उपलब्ध कराने के कारण निर्मित हो रही है तो तदनुसार अवगत कराया जाये।

4. प्रदेश के सभी शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्ग के छात्र–छात्राओं को विषयांकित योजना का लाभ दिया जाना है, उक्त कक्षाओं में कुछ पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है अतः योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार रुप में किया जाये :–

4.1–कक्षा 9वीं एवं 10वीं के समस्त हितग्राही छात्र–छात्राओं को समस्त विषय की पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रदाय की जायेंगी।

4.2–कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु भाषा की पुस्तकें तथा ऐच्छिक विषय के अंतर्गत वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की पुस्तकें ही मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित की जाती है। अतः ये पुस्तकें निगम द्वारा प्रदाय की जायेंगी।

4.3–कक्षा 11वीं एवं 12वीं के कृषि, गृह विज्ञान, कला, फॉइन आर्ट्स, उर्दू भाषा आदि जिन विषयों की पाठ्य पुस्तके मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित न की गयी हो उन पुस्तकों को हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उपलब्ध किसी भी स्थानीय निधि से नियमानुसार क्रय करने हेत संस्था प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। गतवर्षानुसार प्राचार्य क्रय की गई पुस्तकों के देयक की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। देयक में नियमानुसार कमीशन के कटोत्रे का उल्लेख किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में प्राचार्यो से प्राप्त बिल को संकलित कर निर्धारित प्रारुप में मांगपत्र लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित करेंगे तथा राशि प्राप्त होने पर वितरित करेंगे।

4.4–पाठ्य पुस्तक निगम से प्रदाय होने वाली पाठ्यपुस्तकों के वितरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4.4.1– जिला स्तर से प्राप्त मांग संख्या अनुसार निगम के संबंधित क्षेत्रीय डिपो से पुस्तकें प्राप्त करने का दायित्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा। डिपो कार्यालय से ब्लाक स्तर तक पुस्तकों का परिवहन पूर्व वर्षो की प्रक्रियानुसार निगम द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तकें दिनांक 15.3.2010 तक ब्लाक स्तर पर अनिवार्य रुप से पहुंचना चाहिए।

4.4.2– ब्लाक मुख्यालय तक उपरोक्त पुस्तकों के परिवहन की व्यवस्था विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की निगरानी में मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.4.3– विकास खण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का संधारण विकास खण्ड मुख्यालयों के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों अथवा अन्य शासकीय सुरक्षित भवनों में किया जाएगा।

4.4.4– प्रत्येक हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल के प्राचार्य पाठ्य पुस्तकें विकास खण्ड मुख्यालय से प्राप्त करेंगे इस परिवहन पर होने वाला व्यय प्रथमतः संस्था की

स्थानीय निधि से दिया जायेगा । तत्पश्चात् इसकी प्रतिपूर्ति म.प्र.पाठय पुस्तक निगम द्वारा की जायेगी।

4.4.5– जिन जिलों/विकास खण्डों में आदिवासी विकास खण्ड शामिल है उनमें विषयांकित योजना के क्रियान्वयन में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग किया जायेगा।

4.4.6– विकास खण्ड स्तर पर पुस्तकों का भण्डारण कक्षावार एवं विषयवार किया जायेगा। इसका समुचित अभिलेख उस विकास खण्ड स्तरीय भण्डार पर रजिस्टर बनाकर रखेंगे, इस रजिस्टर में पुस्तक की प्राप्ति से लेकर उनके अलग अलग तिथियों में परिवहन की जानकारी इंडेंट तथा पुस्तक प्रदाय किये जाने की डिस्पेच स्लिप की व्यवस्था रहेगी।

4.4.7– दिनांक 15.3.2010 को विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री शालाओं के प्राचार्यो की बैठक विकास खण्ड मुख्यालक के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाये इस बैठक में शालाओं हेतु पाठ्यपुस्तक निगम से प्राप्त होने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा क्रय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में आवश्यक रणनीति बना ली जाये।

4.4.8– दिनांक 25 मार्च, 2010 तक समस्त विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के सेट तैयार कर लिए जायें तथा 01 अप्रेल, 2010 को शाला में पालक शिक्षक संघ की बैठक व प्रवेश उत्सव समारोह आयोजित कर, पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाये। छात्रों को वितरित की जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का नंबर शाला में प्रत्येक छात्र के नाम के समक्ष अंकित किया जाये।

5. किसी भी स्तर पर पाठ्य पुस्तक की कमी होने पर मध्यप्रदेशपाठ्य पुस्तक निगम भोपाल को ई–मेल **tbcho@yahoo.co** तथा फेक्स क्रमांक 2550727, 2551145 पर मांग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल प्रेषित करें।

6. संभागीय संयुक्त संचालक 15 मार्च से 01 अप्रेल 2010 तक ई–मेल/फेक्स के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन संभाग की स्थिति से अवगत करायेंगे।

7. कृपया शासन की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ समय सीमा में सभी हितग्राही छात्र–छात्राओं को उपलब्ध हो सके इस हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

(डॉ. अवध किशोर मिश्रा)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां0क्र0–विद्या/निःशुल्क पा.पु./ए/22/2010/238 भोपाल, दिनांक 6-3-2010

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान0 मंत्री जी, स्कूल शिक्षा, म0प्र0शासन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुडा भवन भोपल कृपया अपनी ओर से भी अधीनस्थ अधिकारियो/प्राचार्यो को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर।
5. आयुक्त, जनसंपर्क कार्यालय, बाणगंगा, भोपाल की ओर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।

7. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देश दिये जाते है कि संभागान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना की डिपोवार/जिलावार प्रभावी मॉनीटरिंग की जाये तथा दैनिक प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।
9. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. जिला उपायुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
11. समस्त, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6/3/10

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश